सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—। आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः—28.06.2024

वाद संख्याः— 2024/65

1. मोहम्मद आसिक खान पुत्र मोहम्मद अली खां जाति कायमखानी निवासी रिसालदारान कोटड़ी के पास वार्ड संख्या 44, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

—प्रतिवादी—

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री हसन खां
प्रतिवादीगणः— पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

निर्णय

1. वादीगण की ओर से दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 88 का पेश कर निवेदन किया कि वादी के पिता मोहम्मद अली खां पुत्र रहमत खां जाति कायमखानी निवासी चूरू के नाम से एकल खातेदारी का खेत खाता संख्या 150 (नया) खसरा संख्या 274/5.4633 हैक्ट. तथा 275/2.2257 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 7.6890 हैक्ट. रोहीं ग्राम कुनसीसर पटवार मण्डल बालरासर अथूना भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू (राज.) में स्थित रहा है।
2. वादी के पितामोहम्मद अली खां का इंतकाल हो जाने के पश्चात उक्त खसरान भूमि का विरासतन नामान्तरण संख्या 1016 दिनांक 04.06.2018 को राजस्व रिकॉर्ड में मोहम्मद अली खां के वारिसान के नाम से दर्ज किया गया। जिसमें वादी का हिस्सा 1/7 दर्ज रहा है। कुर्सीनामा वादीगण के रिश्तेदार द्वारा बनवाया गया जिसमें वादी का नाम सहवन से मोहम्मद आसिक खान के स्थान पर आसिफ खां लिखवा दिया जबकि वादी का नाम मोहम्मद आसिक खान है तथा मोहम्मद आसिक खान नाम ही रहा है वादी का आसिफ खां नाम कभी नहीं रहा है। उक्त खसरान भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के अलावा वादी के तमाम दस्तावेज में वादी का नाम मोहम्मद आसिक खान दर्ज चला गया है जो सही है। जिनकी प्रतियां संलग्न दावा की जा रही है।
3. उक्त खसरान भूमि का वादी एवं सह खातेदारान के मध्य विभाजन नामान्तरण संख्या 1299 दिनांक 31.05.2022 के द्वारा किया [illegible] वादी के हिस्सा भूमि के खाता संख्या 318 (नया) खसरा संख्या 782/274 ता[illegible] 2.5[illegible] हैक्ट. होकर वादी एकल खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:22 IST
Reason: SelfAttested

4. वादी दिनांक 04.06.2024 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी से मिला तो पता चला कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मोहम्मद आसिक खान के बजाय आसिफ खां दर्ज है। जिसको संशोधित करवाया जाना आवश्यक बताया।
5. वादी काफी समय से अपने परिवार के पालन पोषण के लिये विदेश सऊदी अरब रहकर मजदूरी करता है जो कुछ समय के लिये भारत आता है जिस कारण उक्त खसरान भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम आसिफ खां दर्ज होने की जानकारी नहीं रही।
6. वादी के उक्त खसरान भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के अलावा अन्य तमाम दैनिक एवं सरकारी दस्तावेजात में नाम मोहम्मद आसिक खान होने के कारण वादी अपनी उक्त खसरान रिकॉर्ड में आसिफ खां दर्ज होने के कारण वादी अपनी उक्त खसरान खातेदारी भूमि में मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ एवं सुविधाओं से वंचित हो रहा है। इसलिए वादी को अपनी उक्त खसरान खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम आसिक खां के स्थान पर मोहम्मद आसिक खान संशोधित करवाया जाकर घोषित करवाना आवश्यक हो गया है।
7. वादी की उक्त खसरान भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम आसिफ खां के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम मोहम्मद आसिक खान दर्ज किया जाता है तो सरकार व अन्य किसी को कोई नुकसान नहीं होगा तथा वादी ना ही किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार समाप्त होंगे जबकि वादी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सही उपयोग उपभोग कर सकेगा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को बतौर प्रतिवादी पक्षकार लैण्ड हॉल्डर होने व राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन इनके द्वारा ही किये जाने के कारण पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस दिये जाने का कानूनी प्रावधान है मगर इस दावा में तहसीलदार चूरू के खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिये धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना ही पक्षकार बनाया गया है।
9. उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि रोही ग्राम कुनसीसर तहसील व जिला चूरू में स्थित होने से यह वाद सुनने का श्रवणाधिकार एवं न्यायालय को हासिल रहा है तथा वाद हर प्रकार से अन्दर मियाद वाजिब न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वादी के खातेदारी की कृषि भूमि खेत खाता संख्या 318 (नया) खसरा संख्या 783/274 तादादी 2.5630 हैक्ट. रोही ग्राम कुनसीसर तहसील व जिला चूरू (राज.) के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के नाम आसिफ खां पुत्र मोहम्मद अली खां के स्थान पर सही व वास्तविक खसरान कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में संशोधित कर दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए। पैरोकार राज को हिदायत दी गई कि नाम दुरूस्ती बाबत सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करें जिस पर पैरोकार राज द्वारा पटवारी हल्का कस्बा चूरू से रिपोर्ट लेकर पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपने बहस में [illegible] अंकित बिन्दओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज नाम के कारण [illegible] पूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। वादीगणों के सही नाम दर्ज कर घोषणा किए जाने [illegible] प्रार्थी को भी इस संबंध में कोई उज्र एतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया कि मोहम्मद आसिक खान व आसिफ खां दोनों एक ही व्यक्ति हैं सहवन से विरासतन नामान्तकरण दर्ज करते वक्त उक्त भूई है। अतः वादी का नाम आसिफ खां पुत्र मोहम्मद अली खां के बजाय मोहम्मद आसिक खान पुत्र मोहम्मद अली खां किया जाना उचित है। वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि के अनुसार वादी का सही नाम मोहम्मद आसिक खान पुत्र मोहम्मद अली खां होना पाया गया।

मैंने प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया अंतिम चौसाला आधार संवत 2070–2073 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 783/274/2.5630 हैक्ट. वाके रोही कुनसीसर पटवार मण्डल बालरासर अथूणा तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम आसिफ खां हिस्सा पूर्ण दर्ज है। तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नाम विरासतन नामान्तरकरण में दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम मोहम्मद आसिक खान दर्ज है। प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी में नाम आसिफ खां को शुद्ध नहीं बताया गया। दावे में उक्त नाम संशोधन कर आसिफ खां के बजाय दस्तावेजों के अनुसार मोहम्मद आसिक खान शुद्ध करवाना चाहा गया है। मजमें आम में उपस्थित व्यक्तियों के अनुसार आसिफ खां व मोहम्मद आसिक खान एक ही व्यक्ति के नाम है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी का नाम दुरूस्त किये जाने से भूमिधारी राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र से वादी का दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 783/274/2.5630 हैक्ट. वाके रोही कुनसीसर पटवार मण्डल बालरासर अथूणा तहसील व जिला चूरू पूर्ण हिस्सा में अंकित वादी का नाम आसिफ खां खातेदार के स्थान पर मोहम्मद आसिक खान खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/65 दर्ज तिथिः–28.06.2024

1. मोहम्मद आसिक खान पुत्र मोहम्मद अली खां जाति कायमखानी निवासी रिसालदारान कोटड़ी के पास वार्ड संख्या 44, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री हसन खां
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत घोषणात्मक के तहत स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है किः–

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 783/274/2.5630 हैक्ट. वाके रोही कुनसीसर पटवार मण्डल बालरासर अथूणा तहसील व जिला चूरू में पूर्ण हिस्सा वादी का नाम आसिफ खां खातेदार के स्थान पर मोहम्मद आसिक खान अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17 माह दिसम्बर सन् 2025 को जारी की गई।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:22 IST
Reason: SelfAttested